"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2002 चैत्र 13, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-377/2002/वा.क./पांच (43)— छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 3 की उपधारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-377/2001/वा.क./पांच (72) दिनांक 24-11-2001 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ 4 क्रमांक 15 में राजस्व जिला रायगढ़ के पश्चात् राजस्व जिला जशपुर जोड़ा जायेगा .

Raipur, the 3th April 2002

NOTIFICATION

No. F-10-377/2002/CT/V (43)—In exercise of the powers conferred by sub-section 4 of section 3 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-10-377/2001/CT/V (72) date 24-11-2001.

AMENDMENT

In column 4 of the Schedule to the said notification Revenue District of Jashpur shall be added after the Revenue District of Raigarh at S. No. 15.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.